सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसमन्द

प्रकरण : संख्या - 115/24 (ए) शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर सूचना
19/5/26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उप अधि. विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब का अवसर बंद किया गया। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2024 का होकर आशिंक तडु वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। जिससे प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना नहीं रहती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 32 RTA का नहीं तौर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती से कम कि जावे। मुलभत के समय तलब हो। सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) रेलमगरा	